प्राप्त होने के बाद आपने इसमें कुछ खामियां दरसा कर पूरा प्रस्ताव वापिस कर दिया और फिर आप उसे शून्य बतला रहे हैं?

श्री कमल नाथ: सर, केन्द्र सरकार को किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं मिला है-फार्मल हो या इनफार्मल हो। पर यह मुझे जानकारी है कि जो वहां नोडल एजेंसी है, राज्य के वन विभाग ने इसमें कुछ प्रश्न सिंचाई विभाग से मांगे हैं और जब राज्य सरकार के वन विभाग को यह जवाब मिल जाएंगे तब शायद राज्य सरकार जैसा फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में है, उस प्रकार प्रस्ताव भेजेगी।

श्री कैलाश नारायण सारंग: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी राघवजी जी ने कहा कि विदिशा जिले में सिंचाई का प्रतिशत कम है और यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। न वहां वन है, न कोई बहुत बड़ा डूब का हिस्सा इसमें आ रहा है जिससे बहुत लोग विस्थापित हों। परन्तु मैं मंत्री महोदय से एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इस योजना को रद्द करने के पीछे कोई राजनीतिक दबाब है, यह कृपया स्पष्ट करें क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार किसी एक प्रमुख व्यक्ति की जमीन वहां आ रही है इसलिए यह सारा हो रहा है।

श्री कमल नाथ: सर, जैसा मैंने यह कहा कि यह 1988 में रिजेक्ट हुआ था और जो अब फिर से यह प्रस्ताव दिया गया है, जब यह पहले रिजेक्ट हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है कि किसकी जमीन इसमें डूबने वाली थी। पर अब .....(**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग: क्या आप इसकी जांच करा सकते हैं कि एक पूर्व सांसद की जमीन आने के कारण ऐसा हो रहा है। और मकसूदनगढ़ का केस जिसमें बहुत बड़े-बड़े 11 हजार पेड़ हैं, वह एरिया काफी बड़ा है, हम तो वहां रोज घूमते हैं मंत्री महोदय।

श्री कमल नाथ: सर, 1988 में जब यह रिजेक्ट हुआ उसके बाद फिर से जो यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है, उसकी इस दृष्टि से जांच नहीं होगी कि किसकी जमीन डूब रही है या किसकी जमीन नहीं डूब रही है, वरन इस पर जांच होगी कि इस योजना का प्रभाव पर्यावरण और वन पर क्या होता है, उसको देखते हुए इसका फैसला होगा।

श्री कैलाश नारायण सारंग: मंत्री महोदय, वहां वन नहीं है, बिल्कुल सपाट है सपाट।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी सिंचाई योजना है जिनको केन्द्र शासन ने स्वीकृति नहीं दी है, कितनी लम्बित हैं? पार्ट-2 में मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि सागढ़ सिंचाई योजना में हो रहा है कि वहां पर वास्तव में जंगल है नहीं और कागज में जंगल, है, ऐसा बताया गया है। क्या मंत्री महोदय, इस तथ्य को जानने के लिए कोई कमेटी नियुक्त करेंगे कि वास्तव में वहां जंगल है या नहीं है और डिपार्टमेंट उनको धोके में रख रहा है? क्या ऐसी कोई जांच कराएंगे।

श्री कमल नाथ: सर, 1980 से फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 291 योजनाएं प्राप्त हुई। 195 एप्रूब्ड हैं, 19 रिजेक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने 5 विद्ड्रा कर ली हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास 58 पेंडिंग हैं तथा केन्द्र सरकर के पास एक ही सिंचाई योजना फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में पेंडिंग है।

श्री गोविन्दराम मिरी: जहां जंगल नहीं है वहां जंगल बताए जा रहे हैं।

श्री कमल नाथ: माननीय सदस्य को मैं बतला दूं कि जो वन भूमि होती है, यह आवश्यक नहीं है कि उसके ऊपर वन हों, फारेस्ट लैंड फारेस्ट लैंड होती है, जो फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जस्टिफाइ है।

और ऐसी भी वन भूमि है जो हमारा डीग्रेडेड फारेस्ट लैंड है तो बहुत सारा, 25 मिलियन हैक्टेयर अपने देश में डीग्रेडेड फारेस्ट लैंड है जिस पर वन नहीं है। तो यह मान कर चलना कि फारेस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट के अंतर्गत जो भूमि है, उस पर वन हैं या घने-घने वन हैं, यह सही नहीं होगा।

श्री राघवजी: जो डीग्रेडेड लैंड है वही डूब रही है और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए जो डीग्रेडेड नहीं है, उसको आप डुबा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 203.

*203[*The Questioners (Shri T. Venkatram Reddy and Shri G. Prathapa Reddy) were absent. For answer vide col.* 30 *infra.*]

MR. CHAIRMAN: Question No. 204.

Reimbursement of Octroi to M.C.D.

*204. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Central Government had promised to reimburse the loss of revenue suffered by the Municipal Corporation of Delhi on account of abolition of octroi in Delhi in

1993 and to raise the amount by ten percent every year;

(b) if so, how much money was to be reimbursed on the abolition of octroi to MCD and whether that money has been paid; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps taken to reimburse the amount to MCD that has falled due to it without delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes Sir.

(b) Municipal Corporation of Delhi was reimbursed the loss as under:—

1993-94	Rs. 4804.11 lakhs	(This included arrears for the year 1992-93)
1994-95	Rs. 4592.60 lakhs	Provisions made in
1995-96	Rs. 5051.86 lakhs	Delhi Budget.

(c) Does not arise.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह रकम कब अदा की गई? क्या यह ठीक है कि 94-95 की पूरी राशि उस साल में नहीं दी गई और अब आ करके मई के महीने के बाद, क्योंकि मई में मुख्य मंत्री ने आपको पत्र लिखा कि 94-95 और 95-96, दोनों की राशि नहीं दी गई और इस तरह से कारपोरेशन को जिसको यह राशि दी जानी चाहिए थी, उसको ओवर-ड्राफ्ट ले करके बहुत बड़ा सूद अदा करना पड़ा? आपने यह राशि इतनी देर से क्यों दी?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, a provision of Rs. 50.12 crores was made in the Revised Estimate for the financial year 1993-94 as a grant to the Government of Delhi to compensate the loss of revenue to the local bodies due to the abolition of octroi and terminal tax. Under the detailed demands for 1995-96, under Demand No. 11—"Local Self-Government—Major Head-3604—Compensation and assignment to local bodies and panchayat raj institution", the following provisions were made... and this was indicated by the Government of the National Capital Territory of Delhi, that is by the local Government. So, under this, in 1994-95 payments made to the MCD in lieu of the abolition of the terminal tax were Rs. 45.92 crores. Then, of course, to the NDMC and the Cantonment these have been made, but this does not relate to the hon. Member's question. And for 1995-96, Rs. 50.51 crores were made for the abolition of the octroi. This money has come from the Central Budget to the Delhi Government. There is no provision by name that this thing is being made. So, the enhancement of the total budgetary support from the Central Govern- ment to the State Governments was practically more than the previous year's by Rs. 600 crores. So, this loss which the MCD incurred has been included in that.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I asked: When was this grant given? You are not answering that question. Why was the delay? For 1994-95, the grants were given in 1995, and that too recently. You did not answer that ques- tion.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, the money was given, but I do not have the exact dates. But a sum of Rs. 34 crores was collected by the MCD in 1992. There was a compensation of Rs. 9.24 crores which was to be given in 1992-93. Again, coming back to the question as to when this was given, I do not have the exact date when it was given. But I would let the hon. Member know the exact dates that he wants.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो ऑक्ट्रॉय अबॉलिश किया गया था। दिल्ली में खास तौर पर यह ऑल इंडिया पॉलिसी थी कि सारे हिन्दुस्तान में ऑक्ट्रॉय को अबॉलिश कर दिया जाए, इससे बहुत दिक्कत होती है। हिन्दुस्तान में कितनी जगह पर कुल ऑक्ट्रॉय थी, कितनी जगह पर अबॉलिश हुई और कितनी जगह पर आज भी बाकी है? क्योंकि दिल्ली में ऑक्ट्रॉय अबॉलिश करने का कोई असर इस सारे मूवमैंट पर बिल्कुल नहीं पड़ा है सो वट आर दी फैक्ट्स अबाउट इट?

कितनी जगह पर थी और कितनी जगह पर अभी तक चल रही है और कितनी स्टेट गवर्नमैंट्स को आपने इसके लिए पर्सुएड किया? क्योंकि आपने एश्योरेंस सारे ट्रांसपोर्टर्स को दी थी कि ऑक्ट्रॉय हम बहुत जल्दी सारे हिन्दुस्तान में अबॉलिश कर देंगे। यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है पर हिन्दुस्तान से एक जगह से दूसरी जगह आक्ट्रॉय होने की वजह से बेइन्तहा दिक्कत होती है तो आपने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, as far as the Government of India's view is concerned,

octroi should be abolished. Earlier, when a meeting of the Transport Minister was called, this issue was raised and I had said this. Then, another meeting took place on 14th July, 1993, of Chief Ministers and Governors of different States, which was chaired by the Prime Minister. In that meeting also, I had raised this issue. Then, we set up a Committee, under the Chairmanship of the Chief Minister of West Bengal. The other members of this Committee were: the Chief Ministers of Bihar, Gujarat, Haryana, Maharashtra and Orissa. This was through a resolution dated 13th August, 1993. This Committee held a meeting on 15th August, 1993. This Committee held a meeting on 15th August, 1993. This Committee of Chief Ministers again constituted a Sub-Committee. Information was collected by this Committee from the eight States, i.e. Gujarat, Haryana, Maharastra, Manipur, Orissa, Punjab, Rajasthan and West Bengal. After this, they held a meeting the main Committee—on 4th December, 1993, where they came to the conclusion that this was something which they would not like to abolish. Therefore, a decision was taken by the Chief Ministers, under the Chairmanship of the Chief Minister of West Bengal, that they did not want the abolition of octroi. But they did suggest the strreamlining of the procedure for octroi collection. These views were forwarded to the Ministry of Finance. I hope the Chief Ministers would agree and find some viable way by which they could help because this is unnecessary. We wanted to start from Delhi first. That is why we took a decision to abolish octroi in Delhi. Unfortunately, no other State came forward to help us in this regard.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं जानना चाहता हूं कि ऑक्ट्रॉय कितनी जगह पर है?

He has not answered that. Not a single question he has answered.

MR. CHAIRMAN: He has said that except in Delhi, nowhere octroi has been abolished.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Sir, he was asked about the number of States where there is no octroi. For example, in Karnataka, there is no octroi.

SHRI AJIT P.K. JOGI: In Madhya Pradesh, there is no octroi.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अभी पूरी दृढ़ता के साथ मंत्री महोदय ने यह बात सदन में कही कि भारत सरकार चुंगी को खत्म करना चाहती है। मंत्री जी, मैं चाहूंगी कि आप मेरी तरफ ध्यान दें। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं।

श्री जगदीश टाइटलर: सुन रहा हूं, कान में लगा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जब तक सामने नहीं देखे, तब तक लगता नहीं कि सुन रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: He is looking at the Chair.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He should address the Chair, but he must look at me.

SHRI S. JAIPAL REDDY: More particularly, when the hon. Member is none other than Shrimati Sushma Swaraj, he must look at her.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: This is a genuine woman's grievance.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि अभी आपने बहुत दृढ़ता के साथ यह बात सदन में कही कि भारत सरकार चुंगी को अबॉलिश करना चाहती है, चुंगी को खत्म करना चाहती है। सरकार किसी दल की होती है और दल की अपनी नीति को ही अपने कार्यान्वयन में लाती है मैं जानना चाहती हूं कि क्या जिन राज्यों में आपके दल की सरकारें हैं, उन्होंने भी चुंगी खत्म की? क्योंकि मेरी अपनी जानकारी के अनुसार हरियाणा में जहां आपके दल की सरकार है, वहां चुंगी खत्म करने की बजाय आपने चुंगी ठेके पर दे दी है और जो चुंगी भ्रष्टाचार का माध्यम था, अब वह जुल्म का जरिया भी बन गयी है इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर आप चाहते है और आपकी सरकार यानी आपकी पार्टी चाहती है तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम जहां आपके दल की सरकारें है वहां चुंगी तुरंत समाप्त होनी चाहिए?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, there are many States which do not have octroi. (**व्यवधान**) मैं आपही की बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने यह कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि चुंगी हो। इसी कारण हमने यह कमेटी बनाई थी जिसके अंदर कांग्रेस की सरकारें भी और दूसरी पार्टियों की सरकारों ने भी यह बैठ कर फैसला लिया। क्योंकि हम चाहते है कि ऑक्ट्राय खत्म हो जाए मगर किसी कारण उनकी अपनी समझ है, उनका अपना

स्टेट सब्जेक्ट है, सेन्टर का सब्जेक्ट नहीं है। उन्होंने यह फैसला किया कि हम ऑक्ट्राय नहीं हटाना चाहते। जब यह फैसला चीफ मिनिस्टर्स ने किया है और ऑक्ट्राय एक स्टेट सब्जेक्ट है तो सेन्टर किस हालत में उनसे जबर्दस्ती कर सकता है। जैसा उन्होंने कहा हम एक अच्छा रास्ता निकालना चाहते हैं ऑक्ट्राय का तो हम यह सोचते है कि जब कांग्रेस रुल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स बैठे होंगे तो उन्होंने इस तरफ भी जरूर विचार किया होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सेन्टर के नाते स्टेट पर जबर्दस्ती मत करिये लेकिन कांग्रेस के नाते कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों को निर्देश तो कर ही सकते हैं?

श्री जगदीश टाइटलर: हम किसी स्टेट पर जबर्दस्ती नहीं करते। हमने यह डिसिजन उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप अपनी पार्टी को डायरेक्ट तो कर सकते हैं कि वह वहां पर चुंगी हटाने के लिए सरकार पर दबाव डालें?

श्री एस.एस. सुरजेवाला: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा में और कई दूसरे प्रांतों में भी चुंगी को खत्म करने के बजाय चुंगी कि कलेक्शन को प्राइवेटाइज कर दिया है कलेक्शन करने के तौर पर पहले से दो-दो तीन-तीन गुणा कीमतों पर कलेक्शन करने का ठेका ठेकेदारों ने ले लिया है और शहर के चारों तरफ 100-100 आदमी लाठी लेकर बैठा रखे हैं और जबर्दस्ती से लोगों को परेशान कर रहे हैं और हा-हाकार मचाया हुआ है। क्या मंत्री महोदय यह हिदायत देंगे म्युनिसिपल कमेटियों को कि कम से कम चुंगी का प्राइवेटाइजेशन न करें और अपने कर्मचारियों के द्वारा, अगर चुंगी एबालिश नहीं कर सकते तो नार्मल तरीके से अपने स्टाफ द्वारा ही चुंगी का कलेक्शन करायें?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, this is a State subject; I cannot comment on this.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Chairman, Sir, octroi being an irritant to the free flow of trade and business, may I know from the hon. Minister what is the view of the Central Government? Did you accept the report submitted by Shri Jyoti Basu or are you pursuing the matter further, because the Chief Ministers gave this report since the Central Government refused to compensate and reimburse the State for the loss of octroi?

MR. CHAIRMAN: Have you finished the question? ...(*Interruptions*)...Finish the question.

SHRI SATISH AGARWAL: Provided he replies in full!

SHRI JAGDISH TYTLER: I would reply in full, Sir. We in the Central Government had recommended to the State Governments which were charging octroi—here I would also like to answer Prof. Vijay Kumar Malhotra because at that time I didn't have the time to answer—and in Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Gujarat, Manipur, West Bengal, Punjab and Haryana where octroi was being charged, we had asked them to abolish octroi. One of the first things which the Chief Ministers said in the meeting was that they were prepared to do it if we from the Centre prepared to compensate them. That is the biggest problem. We said, sorry, the Centre would not be able to compensate for the losses they may have. At that time if we did compensate the Delhi Administration, it was because there was no Government in Delhi and it was coming directly under the Home Ministry. But we left it to the Chief Ministers to find an alternative way where traders and other people are harassed less and the octroi posts are abolished. But, some how or other, they, in their wisdom, took a decision and said they would not be able to do that. They said they would try to set things right, because they were in a mess, so that there would be less problems for the people paying octroi.

SHRI SATISH AGARWAL: What is the total quantum involved in reimbursement if octroi is abolished?

SHRI JAGDISH TYTLER: I think it is a big amount. I don't have the exact figure. I will let the hon. Member know it.

*205. [*The questioner (Shri S. Madhavan) was absent. For answer, vide col. 30 infra*]

Alleged supply of Drugs to Inmates of Tihar Jail

*206. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that fruits being supplied to the inmates of Tihar Jail in the capital contain drugs mainly heroin as reported in the "Times of India" dated the 18th July, 1995;